संख्या-123/2019/1568/22-2-2018-17(53)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तुलाराम पुत्र स्व0 बांके लाल, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07-08-2018 दिनांक 06.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी तुलाराम पुत्र स्व0 बांके लाल, जो मण्डनपुर शुमाली, थाना- बहेडी हाल निवासी-सरनियां, थाना-सी0बी0 गंज, जिला-बरेली का रहने वाला है, बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 01.02.1989 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-192/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांक 06.07.1993 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बंदी की आयु 60 वर्ष लगभग है तथा 04 से अधिक अपरिहार तथा 05 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या में की गयी बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति पर विचार करते हुए दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी तुलाराम पुत्र (बन्दी संख्या-47977) स्व0 बांके लाल, निवासी जनपद-बरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-123/2019/1568(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in